न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 40 / 2021 (उदयपुर डिक्री)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. शीतलनाथ जी महाराज (मूर्ति) स्थान घण्टाघर, उदयपुर जरिये वर्किंग ट्रस्टी हर्ष कुमार मेहता, निवासी उदयपुर (राज.)
2. हेमराज पिता जगन्नाथ जी माली (मृतक) के विधिक वारिसान :–

2 / 1. श्यामलाल पिता स्व. हेमराज माली, निवासी आयड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2 / 2. चोरसलाल पिता स्व. हेमराज माली, निवासी आयड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2 / 3. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी देवीलाल माली, निवासी आयड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2 / 4. कैलाश पिता देवीलाल माली, निवासी आयड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2 / 5. श्रीमती लता पत्नी राजकुमार माली (पुत्री देवीलाल माली), निवासी गायरियावास, उदयपुर (राज.)

2 / 6. श्रीमती सोनिया उर्फ सुनीता पत्नी शंकरलाल माली (पुत्री देवीलाल माली), निवासी 75, राणा प्रताप कॉलोनी, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 13, उदयपुर (राज.)

2 / 7. श्रीमती केसी बाई पत्नी उदयलाल माली (पुत्री हेमराज माली), निवासी चिकलवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2 / 8. श्रीमती गंगा बाई पत्नी भंवरलाल माली (पुत्री हेमराज माली), निवासी बेडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2 / 9. श्रीमती सुशीला बाई पत्नी केसूलाल माली (पुत्री हेमराज माली), निवासी टेकरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2/10. श्रीमती कंचन बाई पत्नी पन्नालाल माली (पुत्री हेमराज माली), निवासी कालकामाता रोड़, पायडा, जिला उदयपुर (राज.)

2/11. श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी जमनालाल माली (पुत्री हेमराज माली), निवासी खारा कुंआ, आयड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3. रतनलाल पिता जगन्नाथ जी माली, निवासी आयड़ (मृतक) के विधिक वारिसान :–

3 / 1. जमनालाल पिता स्वर्गीय रतनलाल माली, निवासी आयड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested

3/2. ख्यालीलाल पिता स्वर्गीय रतनलाल माली, निवासी आयड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3/3. निर्मल पिता स्वर्गीय रतनलाल माली, निवासी आयड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3/4. श्रीमती शांता देवी पत्नी कुन्दललाल माली, (पुत्री स्व. रतनलाल माली) निवासी टेकरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3/5. श्रीमती विद्या पत्नी पुष्करलाल माली, (पुत्री स्व. रतनलाल माली) निवासी टेकरी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3/6 श्रीमती मंजू पत्नी पुष्करलाल माली, (पुत्री स्व. रतनलाल माली) निवासी गायरियावास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

4. वेणीराम पिता जगन्नाथ जी माली, निवासी आयड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा दिनांक 09–07–2020 प्रकरण संख्या 27/2013

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री हर्ष कुमार मेहता वर्किंग ट्रस्टी रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3– श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
4– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
5– श्री अरूण व्यास अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4

———::———

निर्णय **दिनांक 30–10–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आयड की जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 583 में वर्णित आराजी नंबर 1492 से 1496, 1509, 1511 से 1513, 1515, 1516 कुल किता 11 रकबा 1.4450 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि शीतल महाराज जो कि शाश्वत नाबालिग है, के अधिकार एवं खातेदारी की है, जिस पर प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा है। उक्त भूमि के वादी श्री शीतलनाथ जी खातेदार होकर प्रतिवादीगण का नाम [illegible] के रूप में दर्ज है, जो गलत है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक [illegible] अधिकार नहीं है, न ही उनका कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested

है। नाबालिग मूर्ति की भूमि होने से इसे रहन बेह करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी अकेले को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण नाम खड़मदार की हैसियत से दर्ज है, उसे हटाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर बताया कि वादग्रस्त भूमि मंदिर श्री शीतलनाथ जी महाराज के प्रबन्धक श्री तेजसिंह मेहता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 01–04–1961 को प्रतिवादीगण के पिता जगन्नाथ जी को खडम कर दी गयी, जिसकी राशि मन्दिर को अदा कर दी गयी। प्रतिवादीगण खड़मदार की हैसियत से काबिज हैं, अतिक्रमी की हैसियत से नहीं। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में राजीनामा के आधार पर दिनांक 09–07–2020 को वादी का वाद डिक्री किया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–04–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता एवं वर्किंग ट्रस्टी श्री हर्ष कुमार मेहता, अधिवक्ता श्री पन्नालाल मारू एवं अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण व्यास उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि मंदिर मूर्ति की है, जो शाश्वत नाबालिग मानी गयी है और नाबालिग की भूमि को वक्सीस, वसीयत, बंटवारा या किसी अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने का किसी को कोई हक अधिकार नहीं है, उक्त कानूनी स्थिति स्पष्ट होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मंदिर की भूमि का बंटवारा स्वीकार कर डिक्री पारित कर दी गयी है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्ट भूमिधारी होकर आवश्यक पक्षकार है, लेकिन उसे जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि अपीलान्ट इस प्रकरण में पक्षकार ही नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को व्यथित पक्षकार नहीं मानते हुए जो आदेश अंतिम हो चुका है। इस कारण राज्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested

सरकार को यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है। राजीमाना रेस्पोन्डेन्टगण के मध्य हुआ है, जिससे अपीलान्ट का कोई लेना–देना नहीं है। आपसी समझौते अनुसार 0.5397 हैक्टर भूमि पुनः रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 वादी को सुपुर्द कर दी गयी है, जिस पर अब वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कब्जा है। अपीलान्ट के हित किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं, यह उनके द्वारा नहीं बताया गया है, केवल भूमिधारी होने से किसी भी दो पक्षकारों के आपसी विवादित में दखल देने का अपीलान्ट को कोई हक अधिकार नहीं है। अपीलान्ट को न तो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त मूर्ति का संरक्षक नियुक्त किया गया है, न ही उसे भूमि अंगीकृत करने का कोई अधिकार है। यदि कोई पक्षकार मूल वाद में पक्षकार नहीं है तो उसे अपील का अधिकार तभी प्राप्त हो सकता है जब प्रथम दृष्टया यह साबित हो कि अपीलाधीन निर्णय से उसके हित अधिकार प्रभावित हो रहे हैं जब इस प्रकरण में अपीलान्ट यह नहीं बता पाये कि वह प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से प्रभावित हैं, केवल भूमिधारी होने के आधार पर उन्हें प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/अपीलान्ट न तो विवादित भूमि के खातेदार हैं, न ही उनका कब्जा है। मात्र अपीलान्ट के भूमिधारी होने के आधार पर अपीलधीन निर्णय व डिक्री के उन्हें व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता। तद्नुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 खारिज किया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मात्र अपील इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 पर बहस करते हुए बताया कि अपीलान्ट भूमिधारी होने से प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था, किन्तु उसे जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी उसे नहीं हो सकी। उक्त निर्णय व डिक्री की पालना हेतु जब प्रति अपीलान्ट को भेजी गयी तो उसे उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होने पर जिला कलक्टर से अनुमति प्राप्त करने एवं पत्राचार आदि में समय लगा, जिससे अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि विभागीय कार्यवाही से स्पष्ट है कि उक्त निर्णय व डिक्री की प्रति पालनार्थ दिनांक 16–07–2020 को तहसीलदार को भेजी गयी, उनको उसी दिन प्राप्त हो गयी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested

उनके द्वारा दिनांक 17–07–2020 को राजस्व विभाग को मार्क कर दिया गया। तहसीलदार द्वारा जिला कलक्टर (विधि) को दिनांक 13–08–2020 को पत्र लिखा गया, जिसमें उनके द्वारा निर्णय व डिक्री की दिनांक 09–07–2020 की बजाय दिनांक 16–07–2020 अंकित की, जो उनकी लापरवाही को दर्शाता है। दिनांक 11–11–2020 को अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा अपील प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, फिर भी तहसीलदार द्वारा न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 09–04–2021 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 8 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। प्रत्येक दिन की देरी का कोई कारण इनके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2012 DNJ (SC) Page 395, RRT 2001 (2) Page 1105, AIR 1998 Rajasthan Page 123, AIR 1998 Supreme Court Page 2276 प्रस्तुत की।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील पत्रावली में संलग्न विधि अनुभाग की कार्यालय टिप्पणी अनुसार अपीलान्ट को दिनांक 13–08–2020 को अधिनस्थ के निर्णय व डिक्री की जानकारी होना स्पष्ट है। दिनांक 11–11–2020 को अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा अविलम्ब अपील करने हेतु लिखा गया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 13–08–2020 तक तो हो ही चुकी थी, किन्तु उनके द्वारा अपील दिनांक 09–04–2021 को प्रस्तुत की गयी है, इसके लिए जो कारण बताये हैं, वह न तो उचित प्रतीत होते हैं न ही इतने विलम्ब के लिए कोई पर्याप्त कारण है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक नजीरों अनुसार प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से खारिज योग्य है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि शुरू से मंदिर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। मंदिर मूर्ति की भूमि का बिकाव व हस्तान्तरण किसी भी व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 के हक में जो तथाकथित बिकावनामा दिनांक 01–04–1961 को किया गया है, वह प्रारम्भ से शून्य व अवैध दस्तावेज है, जिससे किसी भी प्रकार के हक अधिकारों का सृजन नहीं होता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इसकी अनदेखी करते हुए डिक्री जारी कर दी, जो विधि विरुद्ध है। मंदिर के वर्किंग ट्रस्टी द्वारा मंदिर की उक्त भूमि को रिसीवरी [illegible] लेने हेतु धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रकरण संख्या 56/200[illegible] ठाकुर शीतलनाथ बनाम हेमराज है, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर गिर्वा द्वारा स्वीकार किया गया एवं तहसीलदार गिर्वा को रिसीवर नियुक्त किया गया, जिसकी अपील राजस्व अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रकरण संख्या 1/2006 दर्ज होकर अपील खारिज की गयी, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या 5540/2006 हेमराज द्वारा प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 14–08–2006 को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी गिर्वा एवं राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध शीतलनाथ जी महाराज की ओर से अपील माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जिसके रिट पिटीशन संख्या 227/2008 होकर वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त सारे तथ्यों की अनदेखी करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने मंदिर मूर्ति का बंटवारा स्वीकार कर डिक्री जारी करने में भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि विवादित भूमि से अपीलान्ट का कोई सरोकार नहीं है। अपीलान्ट न तो विवादित भूमि के खातेदार हैं एवं न ही उनका कब्जा है। उक्त भूमि रेस्पोन्डेन्टगण की खातेदारी की होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति से डिक्री जारी की गयी है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018 में साबिक आराजी नंबर 680 से 683, 682/1, 684/2, 686 से 689 कुल किता 10 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 शीतलनाथ जी महाराज के नाम दर्ज हैं तथा प्रदर्श ए 1 ए से रजिस्टर्ड विक्रय के आधार पर उक्त भूमि शीतलनाथ जी महाराज के ट्रस्टी तेजसिंह द्वारा जगन्नाथ को विक्रय किया जाना प्रकट होता है, जिसके आधार पर जमाबन्दी प्रदर्श 1 के कैफियत के कोलम में नामान्तरकरण संख्या 87/2 दिनांक 29–04–1961 से जगन्नाथ पिता रकबा माली खडमदार दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। जमाबन्दी संवत् 2031 से 2034 प्रदर्श उक्त साबिक आराजियात वादी शीतलनाथ जी महाराज के नाम दर्ज होकर नीचे जगन्नाथ पिता रकबा माली सा.देह खडमदार दर्ज है तथा नामान्तरण संख्या 455 दिनांक 24–04–1979 से विरासत से जगन्नाथ के बजाय हेमराज, रतनलाल, वेणीराम पिता जगन्नाथ माली के नाम रद्दोबदल का इन्द्राज हुआ है। प्रदर्श 3 मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त साबिक आराजी नंबर 680 से 683, 682/1, 684/2, 686 से 689 से हाल आराजी नंबर आराजी नंबर 1492 से 1496, 1509, 1511 से 1513, 1515, 1516 प्रकट होता है। भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी प्रदर्श 4 में उक्त हाल आराजी नंबर 1492 से 1496, 1509, 1511 से 1513,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested

1515, 1516 कुल किता 11 रकबा 1.4450 हैक्टर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज होकर खडमदार के रूप में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के पूर्वाधिकारी हेमराज व रतनलाल तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 वेणीराम का नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न समझौतानामा पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर हैं, जिसकी पहचान उनके अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा व श्री नरेन्द्र चौधरी ने की है। उक्त समझौतानामें के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं होने, अपील बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09–07–2020 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा जिला उदयपुर बनाम **शीतलनाथ जी महाराज (मूर्ति) स्थान घण्टाघर उदयपुर जरिये वर्किंग ट्रस्टी श्री हर्ष कुमार मेहता, निवासी उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**40 / 2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**गोगुन्दा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**09**.....माह.....**07**.....**2020**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**.....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री कमलेश चौहान**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री हर्ष कुमार मेहता / पन्नालाल मारू**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं होने, अपील बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09–07–2020 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested